हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अप्रैल, 2007

संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/एन.टी.(एस.जी.-पी.एन.पी.)/6/सी.ए./2007/1618.—पंजाब अनुसूचित सङ्क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तायों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न योजना में दर्शाये गये अनुसार जिला पानीपत के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्ः

अनुसूची

जिला पानीपत के नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईग संख्या डी.टी.पी.(पी.एन.)304/2006, दिनांक 04 मई, 2006 के साथ पढ़ा जाए।

- उत्तरः बिन्दु 'ए' अर्थात् वह बिन्दु जहां गाँव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की राजस्व सीमा, गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91), की आयत संख्या 108 की पश्चिमी सीमा से मिलती है, से प्रारम्भ करते हुए उत्तर—पूर्व की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की उत्तरी—पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'बी' तक, जो कि वह बिन्दु है जहां यह गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 12 की पूर्वी सीमा से मिलती है।
- पूर्वः तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से दक्षिण की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 12 तथा 20 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् पूर्व की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 36 की उत्तरी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 36 तथा 49 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् पूर्व की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 66 की उत्तरी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 66, 81 तथा 98 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् पश्चिम की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 98 की दक्षिणी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 115 तथा 134 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 134 की दिक्षणी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 153 तथा 172 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'सी' अर्थात् गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 172 के दिक्षण—पूर्व कोने तक।
- दक्षिण: तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से पश्चिम की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ—साथ उस बिन्दु तक जहां यह गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 188 की दक्षिणी सीमा से मिलती है, तत्पश्चात् पश्चिम की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 188, 187, 186 तथा 185 की दक्षिणी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् उत्तर की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 185 की पश्चिमी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् पश्चिम की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 178 की दक्षिणी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'डी' अर्थात् गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 178 की दक्षिण—पश्चिम कोने तक।

पश्चिमः तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से उत्तर की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 178, 147, 141 तथा 108 की पश्चिमी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

शकुन्तला जाखू, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 20th April, 2007

No. CCP (NCR)/NT(SG-PNP)/6/CA/2007/1618.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area in district Panipat as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely:-

Schedule

Schedule of boundary of the controlled area in district Panipat to be read with drawing no. DTP(PN)304/2006, dated the 4th May, 2006.

- North: Starting from point "A", i.e. the point where revenue boundary of village Rakashera (Hadbast no. 91) meets with the western boundary of rectangle no. 108 of village Rakashera (Hadbast no. 91), towards north-east along north-west revenue boundary of village Rakashera (Hadbast no. 91) up to point "B" i.e. the point where it meets with eastern boundary of rectangle no. 12 of village Rakashera (Hadbast no. 91).
- East: Thence moving from point "B" towards south along the eastern boundary of rectangle no. 12 and 20 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards east along the northern boundary of rectangle no. 36 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards south along the eastern boundary of rectangle no. 36 and 49 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards south along the northern boundary of rectangle no. 66 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards south along the eastern boundary of rectangle no. 98 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards south along the eastern boundary of rectangle no. 115 and 134 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards west along the southern boundary of rectangle no. 134 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards south along the eastern boundary of rectangle no. 134 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards south along the eastern boundary of rectangle no. 153 and 172 of village Rakashera (Hadbast no. 91) up to point "C" i.e. south-east corner of rectangle no. 172 of village Rakashera (Hadbast no. 91).
- South: Thence moving from point "C" towards west along southern revenue boundary of village Rakashera (Hadbast no. 91) up to the point where it meets with southern boundary of rectangle no. 188 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards west along the southern boundary of rectangle no. 188, 187, 186 and 185 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards north along the western boundary of rectangle no. 185 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards west along the southern boundary of rectangle no. 178 of village Rakashera (Hadbast no. 91) up to the point "D" i.e. south-west corner of rectangle no. 178 of village Rakashera (Hadbast no. 91).
- West: Thence moving from point "D" towards north along western boundary of rectangle no. 178, 147, 141 and 108 of village Rakashera (Hadbast no. 91) up to point "A" i.e. the point of start.

SHAKUNTLA JAKHU,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.